

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1252

25 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

1252. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) का मुख्य कार्य कबाड़ प्रसंस्करण है;
- (ख) यदि हां, तो इस कार्य हेतु आउटसोर्सिंग और निविदा प्रणाली का सहारा लेने के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या यह सच है कि सीवीसी ने मीडिया समाचारों के आधार पर निविदा प्रणाली में अनियमितताओं के संबंध में एक जन प्रतिनिधि की शिकायत के आधार पर एफएसएनएल, भिलाई के मुख्यालय पर छापा मारा था;
- (घ) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे;
- (ङ) क्या सरकार ने पूरी प्रक्रिया में स्वयं एमडी की भागादारी का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) दोषियों के विरुद्ध और ऐसे कार्यों, जो उपक्रम के मूल कार्यों का हिस्सा हैं, के लिए एफएसएनएल की निविदा प्रणाली को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क): जी हाँ।

(ख): फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) विभिन्न इस्पात संयंत्रों में स्लैग से स्क्रेप की पुनः प्राप्ति तथा स्क्रेप प्रसंस्करण करने के विशेष कार्य का निष्पादन कर रहा है। एफएसएनएल का व्यापार पूर्ण रूप से कार्य की मात्रा/प्रकृति पर निर्भर है। हॉट स्लैग पिट डिगिंग, इस्पात स्क्रेप की पुनः प्राप्ति और प्रसंस्करण, एलडी स्लैग की पुनः प्राप्ति आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण कार्यों, जो नियमित/स्थायी हैं, को उपलब्ध कार्मिक शक्ति और उपस्कर की सहायता से विभागीय स्तर पर किए जाते हैं। जब भी कार्य की मात्रा में वृद्धि होती है और विभागीय संसाधन कार्य की मात्रा के अनुरूप नहीं होते हैं, तब उपस्कर तथा जनशक्ति को भुगतान के आधार पर या तो विभागीय गतिविधियों को पूरा करने के लिए या ग्राहक की अतिरिक्त, आकस्मिक या प्रासंगिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिया जाता है।

(ग): जी नहीं।

(घ): उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(ङ) और (च): इस विषय पर प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों का निपटान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
